

2/2020 कावली सेवा / वकील उभय पक्षों के  
जवब पक्षों आदि - 1 नियम 10(2) CPC के  
सेवा प्राप्ति का के सुनिश्चित करने के लिए  
उभय पक्षों की बहस बुनी गई।  
किसी अपवाद के बिना प्रत्येक पक्षों  
के अपवाद करने पर एक बहस कर  
संगत करने पर वकील पक्षों मूल पक्षों  
के लिये एक ही बात बहस प्रकरण में विधिक  
निष्पत्ति से पूर्व किसी भी प्रकार के न्याय  
हिसा सुनवाई के अवसर प्रदान करना  
हम उचित मानते हैं। अतः वकील पक्षों  
को प्रमाणों के साथ - 1 नियम 10(2) CPC के  
स्वीकार किया जाता है। इन प्रमाणों  
एक के लिये स्वीकार किया जाता है।  
कावली वाले सुनिश्चित करे शीघ्र ही  
दिनांक 17-2-2020 को सेवा के रूप

